

भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय के पत्र क्रमांक 29 दिनांक 13/03/2013 द्वारा
जारी निर्देश

राष्ट्रपति पुरस्कार आवेदन फार्म भरने के पहले निम्न बातों को ध्यान में रखें ।

1. युनिट लीडर के पास दल का चार्टर (दल पंजीयन का क्र.) एवं अद्यतन नवीनीकरण होना अनिवार्य हैं ।
2. युनिट लीडर कम से कम एडवांस प्रशिक्षित हो एवं वैद्य अधिकार (वारंट) होना अनिवार्य हैं ।
3. एक युनिट लीडर केवल उसके दल (24/32) के सदस्यों में से केवल 25 प्रतिशत सदस्यों के आवेदन फार्म पुरस्कार के लिये अनुशंसा कर सकेगा (6 से 8 स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर जैसी भी स्थिति हो) ।
4. जन्मतिथि का प्रमाणिकरण अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य का ही मान्य होगा । आवेदक के बोर्ड परीक्षा पास करने की स्थिति में संबंधित बोर्ड द्वारा जारी अंकसूची की राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति मान्य होगी ।
5. पंजीयन फार्म में अंकित दीक्षा की तिथि एवं सूचना पत्र में दर्शाई गई प्रवेश पूर्ण करने की तिथि एक होनी चाहिए । उक्त तिथियों में अंतर होने पर आवेदन फार्म स्वतः अमान्य हो जावेगा ।
6. प्रवेश ,प्रथम सोपान ,द्वितीय सोपान ,तृतीय सोपान एवं राज्य पुरस्कार की तिथि ए0पी0आर0ओ0-भाग 2/3 में वर्णित प्रगतिशील विकास पाठ्यक्रम के अनुसार होना अनिवार्य हैं । राष्ट्रपति पुरस्कार जाँच शिविर में परीक्षक के माँगने पर प्रगति टेस्ट कार्ड जो की संबंधित के दल में प्रवेश के समय जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं ।
7. राज्य पुरस्कार /निपूण पूर्ण करने की तिथि जाँच शिविर कि अंतिम तिथि होगी या जिस दिनांक को राज्य मुख्यालय द्वारा प्रतिभागी को सफल घोषित किया गया हो ।
8. स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर जिस स्तर को पूर्ण करेगा उससे संबंधित दक्षता पदक पूर्ण करने की तिथि उस स्तर को पूर्ण करने पूर्व होनी चाहिए । सभी दक्षता पदकों की जाँच स्वतंत्र परीक्षकों जो की जिला बैज कमेटी द्वारा नियुक्त किये गये हो द्वारा की जावेगी । युनिट लीडर स्वयं की युनिट के सदस्यों के लिए स्वतंत्र परीक्षक मान्य नहीं होंगे । "Information sheet,, की पूर्ति पूर्ण करने के साथ स्वतंत्र बैज परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिस पर जिला आयुक्त के प्रति हस्ताक्षर हो संलग्न करेगा एवं जांच शिविर के समय उपलब्ध करायेगा ।
9. तृतीय सोपान /प्रवीण जाँच शिविर जिला स्तर पर आयोजित किया गया हो प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं ।
10. राज्य पुरस्कार में लिए गए दक्षता पदक तृतीय सोपान पूर्ण होने के बाद ही पूर्ण किये हो मान्य होंगे ।

11. राज्य पुरस्कार/निपुण जाँच शिविर राज्य स्तर पर आयोजित किया गया हो एवं संबंधित राज्य द्वारा सफल/योग्य स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर को राज्य पुरस्कार/निपुण पुरस्कार प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा । उक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन फार्म के साथ संलग्न करे । यदि राज्य पुरस्कार/निपुण पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ हो तो ऐसी स्थिति में प्रोविजनल प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।
12. राष्ट्रपति पुरस्कार से संबंधित आवश्यक विषय जैसे कैंपिंग ,एम्बुलेंस बैज ,सर्विस प्रोजेक्ट ,हाईक एवं सी0डी प्रोजेक्ट बैज प्रशिक्षक /खेल खिलाना आदि राज्य पुरस्कार के पश्चात पूर्ण किये गये हो ।
13. ऐसे युनिट लीडर जो की राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार के लिए स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर तैयार करता हैं उसे प्रधानमंत्री शीलड प्रतियोगिता /उपराष्ट्रपति शीलड प्रतियोगिता के लिए कार्य करना अनिवार्य हैं इससे जुड़ी हुई 36 घंटों की सतत सेवा(जो कि 2 माह में फैली हो) सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक विकास योजना जिसका प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शीलड प्रतियोगिता में अंकित विषयों में उल्लेखित प्रावधान अनुसार करें ।
14. प्रोजेक्ट के दौरान जैसे ,हाईक एवं सी0डी प्रोजेक्ट ए0पी0आर0ओ0- 2/3 के अनुसार हो । यह प्रोजेक्ट कम से कम 6 माह की अवधि पूर्ण किया गया हो ।
15. राष्ट्रपति पुरस्कार जाँच शिविर से संबंधित पंजीयन आवेदन फार्म पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है । सभी आवेदन पत्र निर्धारित फार्म में 03 प्रतियों में स्वीकार किया जावेगें। राष्ट्रपति पुरस्कार आवेदन फार्म राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा जारी फार्म प्रत्येक पंजीयन आवेदन फार्म 03 प्रतियों में "Information sheet,, के साथ सूची जिसमें आवेदन फार्म में – 1. स.क्र. 2. आवेदन फार्म क्र. 3. आवेदक का नाम 4. पिता का नाम 5. जन्मतिथि 6. राज्य पुरस्कार /निपूण की तिथि (प्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ) 7. युनिट का नाम 8. जिला, आदि स्पष्ट अंकित हो ।
16. राष्ट्रपति पुरस्कार पंजीयन आवेदन फार्म राष्ट्रीय मुख्यालय /राज्य मुख्यालय में सशुल्क उपलब्ध हैं ।
17. राष्ट्रपति पुरस्कार जांच शिविर के दौरान तृतीय सोपान/प्रवीण, राज्य पुरस्कार एवं निपूण की दक्षताओं की जांच भी की जावेगी ।
18. रोवर /रेंजर द्वारा जो की एक ही क्रू/टीम से संबंधित हैं उनके द्वारा "World Affairs" विषय पृथक –पृथक चुने जावे एवं क्रू/टीम कौंसिल में रिपोर्ट प्रस्तुत करें
19. सभी राष्ट्रपति पुरस्कार जाँच शिविर क्षेत्र स्तर पर चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों पर ही होंगे जो कि सुस्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों पर तम्बूओं में खुले मैदान में आयोजित किये जावेगें
20. राष्ट्रीय मुख्यालय पर राष्ट्रपति पुरस्कार जांच शिविर पंजीयन आवेदन फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2013 है । राज्य मुख्यालय में आवेदन फार्म स्वीकार्य करने की अंतिम तिथि 30 जून 2013 है । 30 जून 2013 के उपरांत प्राप्त आवेदनों को अगले वर्ष 2014 के लिए रखा जावेगा ।

राज्य सचिव